

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 530] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 1983/अग्रहायण 4, 1905
No. 530] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 1983/AGRATAYANA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1983

का. आ. 85/7(3).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956
(1956 का 25) की धारा 5 के खण्ड (3) के अन्तर्गत में, कन्द्रीय सरकार एतद्वारा
श्री सी आर. वेंकटराधन, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को
डा. एम्. एम्. सिन्धु के स्थान पर, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अखिल भारतीय
आयुर्विज्ञान संस्थान का सदस्य मनोनीत करती है और 6 जुलाई, 1983 को भारत
सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. बी. 16011/4/
82-एम्.ई. (पीजी) में विमल्लिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 2 से संबंधित प्रविष्टि से निम्नलिखित क्रम से
और प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात् :—

“2. श्री सी. आर. वैद्यनाथन,
सचिव,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ।”

[सं. बी. 16011/1/83-एम.ई. (पीजी)]

पी. पी. चौहान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 1983

S.O. 857(E).—In pursuance of clause (e) of section 4 of the All-India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the Central Government hereby nominates Shri C. R. Vaidyanathan, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, to be a member of the All-India Institute of Medical Sciences, vice Dr. S. S. Sidhu, resigned and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. V. 16011/4/82-ME(PG), dated the 6th July, 1983.

In the said notification, for serial number 2 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:—

“2. Shri C. R. Vaidyanathan,
Secretary,
Ministry of Health and Family Welfare.”

[No. V. 16011/1/83-ME(PG)]

P. P. CHAUHAN, Jt. Secy.